प्रेस नोट दि0– 01.05.2026

थाना– लीलापुर, जनपद– प्रतापगढ़

पुलिस मुठभेड़ में 02 शातिर अभियुक्त घायल/गिरफ्तार, अवैध असलहा व मोटरसाइकिल बरामद

अभियुक्त अफजल उर्फ जानी व अमन शेख के विरुद्ध विभिन्न थानों में मारपीट, हत्या के प्रयास व आर्म्स एक्ट आदि के अंतर्गत कई अभियोग पंजीकृत हैं।
थाना लीलापुर पुलिस द्वारा सघन चेकिंग के दौरान प्रभावी कार्यवाही।
संदिग्ध मोटरसाइकिल सवारों द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग, जवाबी कार्रवाई में दोनों अभियुक्त घायल/गिरफ्तार।
अभियुक्तों के कब्जे से अवैध तमंचा, कारतूस, व मोबाइल बरामद।
घायल अभियुक्तों को उपचार हेतु सीएचसी लालगंज भेजा गया।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में, अपर पुलिस अधीक्षक (पश्चिमी) श्री बृजनन्दन राय एवं क्षेत्राधिकारी लालगंज श्री आशुतोष मिश्रा के पर्यवेक्षण में दिनांक 30.04.2026 को प्रभारी निरीक्षक अमला सिंह मय हमराह थाना लीलापुर मय पुलिस बल द्वारा औरी का पुरवा, सगरासुन्दरपुर क्षेत्र में सघन वाहन चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान पंडित का पुरवा की ओर से स्प्लेंडर प्लस मोटरसाइकिल पर सवार दो संदिग्ध व्यक्ति आते दिखाई दिए। पुलिस टीम द्वारा रोकने का प्रयास करने पर दोनों तेजी से भागने लगे।

संदेह होने पर पुलिस टीम द्वारा पीछा किया गया एवं गंगा पुत्री पुल की ओर बीहड़ क्षेत्र (ग्राम सकुहाबाद) में घेराबंदी की गई। घिर जाने पर अभियुक्तों द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग की गई। आत्मरक्षार्थ पुलिस टीम द्वारा की गई जवाबी कार्रवाई में दोनों अभियुक्तों के दाहिने पैर में घुटने के नीचे गोली लगने से घायल हो गए, जिन्हें मौके पर गिरफ्तार कर लिया गया।

पूछताछ में अभियुक्तों ने अपना नाम 1. अफजल उर्फ जानी पुत्र अनवर निवासी सराय मकई थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़, 2. अमन शेख उर्फ अरमान पुत्र असफाक निवासी मिश्रपुर थाना मान्धाता जनपद प्रतापगढ़ बताया। अभियुक्त अफजल के कब्जे से 01 अदद तमंचा .315 बोर, 01 अदद जिन्दा कारतूस, 01 अदद खोखा कारतूस, व 01 मोबाइल तथा अभियुक्त अमन शेख के कब्जे से 01 अदद तमंचा .315 बोर, 01 अदद जिन्दा कारतूस, 01 अदद खोखा कारतूस, व 01 मोबाइल बरामद हुआ। मौके से 01 अदद मोटरसाइकिल स्प्लेंडर (रंग काला, नं0 UP70GJ2150) बरामद की गई।

घायल अभियुक्तों को उपचार हेतु सीएचसी लालगंज भेजा गया है। प्रकरण में आवश्यक विधिक कार्यवाही प्रचलित है। मौके पर कानून-व्यवस्था सामान्य है।

गिरफ्तार/घायल अभियुक्त—
अफजल उर्फ जानी पुत्र अनवर निवासी सराय मकई थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़।
अमन शेख उर्फ अरमान पुत्र असफाक निवासी मिश्रपुर थाना मान्धाता जनपद प्रतापगढ़।

बरामदगी—

अभियुक्त अफजल उर्फ जानी के कब्जे से 01 अदद तमंचा .315 बोर, 01 अदद जिन्दा कारतूस, 01 अदद खोखा कारतूस, व 01 मोबाइल फोन बरामद।

अभियुक्त अमन शेख उर्फ अरमान के कब्जे से 01 अदद तमंचा .315 बोर, 01 अदद जिन्दा कारतूस, 01 अदद खोखा कारतूस, व 01 मोबाइल फोन बरामद।

मौके से 01 अदद मोटरसाइकिल स्प्लेंडर (रंग काला, नं0 UP70GJ2150) बरामद।

आपराधिक इतिहास

अभियुक्त अफजल उर्फ जानी पुत्र अनवर नि0 सराय मकई थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़

1. मु0अ0सं0 389/18 धारा 147/148/149/120बी/188/307/323/332/333/336/34/353/504/506 भादवि थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ़
2. मु0अ0सं0 77/25 धारा 115(2)/351(3)/352 बीएनएस 3(1)द, 3(1)ध,3(2) Va एससी एसटी एक्ट थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़
3. मु0अ0सं0 232/25 धार 115(2)/351(3)/352/324(4) बीएनएस थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़
4. मु0अ0सं0 105/26 धारा 191(2)/125/352/351(3) बीएनएस थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़

आपराधिक इतिहास 2.अमन शेख उर्फ अरमान पुत्र असफाक निवासी मिश्रपुर थाना मान्धाता जनपद प्रतापगढ़

1. मु0अ0सं0 336/23 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना मऊआइमा प्रयागराज
2. मु0अ0सं0 136/22 धारा 147/148/149/286/307/325 भादवि थाना मान्धाता जनपद प्रतापगढ़
3. मु0अ0सं0 105/26 धारा 191(2)/125/352/351(3) बीएनएस थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़

पुलिस टीम—

प्रभारी निरीक्षक अमला सिंह मय हमराह व0उ0नि0 अंकुर कैथवास आ0 दिनेश कुमार , आ0 मोरध्वज चालक का0 योगेश कुमार थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़

उ0नि0 दीपक कुमार यादव, उ0नि0 सुमित कुमार वर्मा , उ0नि0 शिशिर पटेल , उ0नि0 शहंशाह खान , आ0 राजकुमार , आ0 रजकिशोर , आ0 अनिल , आ0 हरेन्द्र सिंह , आ0 विनय थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़

थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ़ ।

थाना बाघराय पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराधिक क्रिया कलापों में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, थाना बाघराय के उ0नि0 जय सुशील मिश्रा द्वारा जांच प्रार्थना पत्र, देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त के दौरान मा0 न्यायालय द्वारा निर्गत मु0अ0सं0-123/2014

धारा 302/504 भादवि एक्ट थाना बाघराय, जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित 01 वारण्टी अभियुक्त संजय विश्वकर्मा पुत्र रामखेलावन विश्वकर्मा नि0 ग्राम जलालपुर थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ़ उम्र 34 वर्ष को थाना बाघराय क्षेत्रान्तर्गत ब्लाक गेट बारौं के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
01. संजय विश्वकर्मा पुत्र रामखेलावन विश्वकर्मा नि0 ग्राम जलालपुर थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ़ उम्र 34 वर्ष।

पुलिस टीम-
उ0नि0 जय सुशील मिश्रा थाना बाघराय, जनपद प्रतापगढ़।

थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम पर हमला कर आरक्षी को घायल करने वाला वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से बरामद हुई घटना में प्रयुक्त तलवार-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा पुलिस टीम पर हमला कर आरक्षी को घायल करने के प्रकरण में मुख्य अभियुक्त हरप्रीत सिंह को घटना में प्रयुक्त 01 अदद तलवार एवं 01 अदद टूटी हुई मयान सहित गिरफ्तार किया गया।

चिलबिला पावर हाउस तिराहे पर आरक्षी पर हमला—मुख्य अभियुक्त तलवार सहित गिरफ्तार, अन्य आरोपी की गिरफ्तारी हेतु दबिश जारी

प्रतापगढ़।
थाना कोतवाली नगर क्षेत्रान्तर्गत चिलबिला पावर हाउस तिराहे पर दिनांक 30.04.2026 को वाहन चेकिंग/यातायात व्यवस्था के दौरान ट्रक चालकों द्वारा रॉन्ग साइड में वाहन खड़ा करने पर पुलिस द्वारा टोकने पर विवाद उत्पन्न हो गया। इसी दौरान ट्रक चालक हरप्रीत सिंह पुत्र सतनाम सिंह निवासी रतोके चोला थाना चोला साहब, जनपद तरन तारन (पंजाब) द्वारा आरक्षी पर धारदार हथियार से हमला किया गया, जिससे उनके हाथ में चोट आई। इस संबंध में थाना कोतवाली नगर में मु0अ0सं0 256/26 धारा 3(5)/109(1)/352/351(2)/221/121(1)/132 बीएनएस व 7 CLA एक्ट बनाम 01.चालक हरप्रीत सिंह, पिता सनातन सिंह, निवासी रतोके, चौहला साहिब, तरनतारन(पंजाब), 02.चालक पवनप्रीत सिंह, पिता अज्ञात, पता अज्ञात के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री पूर्वी श्री आलोक कुमार व सहायक पुलिस अधीक्षक/ क्षेत्राधिकारी नगर श्री प्रशान्त राज के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी कोतवाली नगर श्री सुभाष कुमार यादव के नेतृत्व में थाना कोतवाली नगर के उ0नि0 लक्ष्मीकांत सिंह सेंगर मय हमराह क0 अनिल कुमार, का0 प्रशांत कुमार, का0 विकास कुमार द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित, वारण्टी

अभियुक्त व संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 256/26 धारा 3(5)/109(1)/352/351(2)/221/121(1)/132 बीएनएस व 7 CLA एक्ट से संबंधित 01 अभियुक्त हरप्रीत सिंह पुत्र सतनाम सिंह निवासी रतोके, थाना चोला साहिब, जनपद तरण तारन, पंजाब उम्र करीब 37 वर्ष को घटना में प्रयुक्त 01 अदद तलवार व तथा 01 अदद मयान टुटी हुयी के साथ थाना क्षेत्रान्तर्गत कोतवाली नगर क्षेत्रान्तर्गत फाटक के पास स्टेशन को जाने वाली सड़क के पास के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
01. हरप्रीत सिंह पुत्र सतनाम सिंह निवासी रतोके, थाना चोला साहिब, जनपद तरण तारन, पंजाब उम्र करीब 37 वर्ष।

पुलिस टीम का विवरण-
उ0नि0 लक्ष्मीकांत सिंह सेंगर मय हमराह क0 अनिल कुमार, का0 प्रशांत कुमार, का0 विकास कुमार थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़।

थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ़।

“प्रतापगढ़ पुलिस को बड़ी सफलता : चोरी के अभियोग से संबंधित 02 बाल अपचारी पुलिस अभिरक्षा में, चोरी की 01 अदद मोटरसाइकिल, 07 अदद पीतल के बरतन व 08 अदद स्टेन लेस स्टील बरतन बरामद-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में थाना अन्तू पुलिस की बड़ी कार्यवाही: चोरी के अभियोग से संबंधित 02 बाल अपचारी पुलिस अभिरक्षा में, चोरी का सामान बरामद-

प्रतापगढ़।
दिनांक 28/29.04.2026 की रात्रि को वादी निवासी सब्जी मंडी गड़वारा, थाना अंतू, जनपद प्रतापगढ़ की थाना अंतू क्षेत्रांतर्गत गड़वारा सब्जी मंडी स्थित “बसंत बर्तन भंडार” दुकान का दरवाजा तोड़कर अज्ञात चोरों द्वारा पीतल के घड़े, एक हंडा एवं स्टील की टंकियां चोरी कर ली गई। इस संबंध में थाना अन्तू पर मु0अ0सं0 102/26 धारा 331(4),305 बीएनएस बनाम अज्ञात का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री आलोक कुमार व सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी नगर श्री प्रशांत राज के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी अन्तू श्री अभिषेक सिरोही के नेतृत्व में थाना अंतू के उ0नि0 सचिन यादव मय हमराह आरक्षी संदीप यादव, आरक्षी जितेंद्र यादव, आरक्षी लाखन सिंह, आरक्षी लोकेंद्र कुमार द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त के दौरान मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 102/26 धारा 331(4),305,317(2) बीएनएस से संबंधित 02 बाल अपचारी को चोरी के 07 अदद पीतल के बरतन, 08 अदद स्टेन लेस स्टील बरतन व 01 मोटरसाइकिल के साथ थाना अन्तू क्षेत्रान्तर्गत राजकीय इंटर कॉलेज शुकुलपुर के पास से पुलिस अभिरक्षा में लिया गया।

अभियुक्तों के कब्जे से चोरी के 07 अदद पीतल के बरतन, 08 अदद स्टेन लेस स्टील बरतन व 01 मोटरसाइकिल बरामद की गई हैं। उक्त बरामदगी के संबंध में थाना स्थानीय पर अभियोग में धारा 317(2) बीएनएस की बढोत्तरी की गई है।

गिरफ्तार बालअपचारियों का विवरण-
02 बालअपचारी

बरामदगी-
07 अदद पीतल के बरतन
08 अदद स्टेन लेस स्टील बरतन
01 मोटरसाइकिल बरामद ।

पुलिस टीम का विवरण-
उ0नि0 सचिन यादव मय हमराह आरक्षी संदीप यादव, आरक्षी जितेंद्र यादव, आरक्षी लाखन सिंह,आरक्षी लोकेंद्र कुमार थाना अंतू जनपद प्रतापगढ़ ।